

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

रिपोर्ट पटवारी... व भू.अ. निरीक्षक... तहसील रायपुर

महोदयजी निवेदन है कि ग्राम बाणेश्वर जमाबंदी संवत् 2076-79 के खा. सं. 687 किता 5 (आ. सं. 2594 वगैरे) कुल इकतवा 354 हे. खातेदार (1) पारसकंठर पति अजन्नाथ सिंह (2) बालकृष्ण सिंह पुत्र अजन्नाथ सिंह (3) शिवराज सिंह पुत्र अजन्नाथ सिंह बाणेश्वर के नाम धर्म दर्ज रेकर्ड का खता दर्ज है।
 जहाँ जमा फेरा प्रदर्शित एवं संबंधित दस्तावेज तथा आवेदक, जहाँकार, जहाँकार के पेशवा प्रमाण प्रमाण आदि का अवलोकन किया गया।

उक्त खातेदार के नाम एवं पिता का नाम में पुस्तकी किया जाता है। जहाँकार के पिता एवं पिता अजन्नाथ सिंह के भवेर सिंह बाणेश्वर के नाम से भी जाना जाता था। ग्राम में अजन्नाथ सिंह से जाना जाता था एवं उक्त अजन्नाथ सिंह C.R.P.F में सर्विस में थे। इनका नाम भवेर सिंह दर्ज है। अजन्नाथ सिंह एवं भवेर सिंह बाणेश्वर एक ही व्यक्ति के दो नाम के रूप में जाना जाता है। अतः उक्त खाते में पिता/पति का नाम अजन्नाथ सिंह उक्त भवेर सिंह दर्ज करके पारसकंठर के लिये प्रारंभ कुमारी दर्ज करके लेख प्रमाण का रिपोर्ट फेरा है।

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार रायपुर

पटवारी रायपुर
20/10/21

20/10/21

20/10/21
नायब तहसीलदार



काप्रलिप उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा
 क्रमांक / प्रमाण संख्या 72/2021 दि. 20/10/21

मुताबिक तहसीलदार रायपुर की जांच रिपोर्ट व आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर राजाबहादुर नान्दसा की जमाबंदी संवत् 2076-79 के खा. सं. 687 में किता 5 इकतवा 354 में सह खातेदार पारसकंठर पति अजन्नाथ सिंह का अंकन है जिसके बजाय पारस कुमारी पति अजन्नाथ सिंह उक्त भवेर सिंह शुद्धि किया जाता है, तदनुसार राजस्व रिपोर्ट में इन्फ्राज किया जावे, तहसीलदार रायपुर को पालनार्थ प्रेषित है।

20-10-21
 रायपुर (भीलवाड़ा)
 उपखण्ड अधिकारी
 रायपुर भीलवाड़ा